



कार्यालय आदेश संख्या : 128 / 2020

कार्यालय आदेश संख्या 62/2019 दिनांक 14.08.2019 में आंशिक आशोधन करते हुए तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेश होने तक के लिए निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं:-

क. संयुक्त विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित शक्तियां:-

क्रमांक	अनुभाग	कार्यों की सूची
1	सीपज़ - सेज़ / नया सेज़	<ul style="list-style-type: none"> यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात एलओपी जारी करना । एनएसडीएल से संबंधित मामले । यूनिटों को बिजली शुल्क छूट के लिए प्रमाणपत्र जारी करना । सेज़ यूनिटों को प्रारंभ प्रमाणपत्र अथवा ग्रीन कार्ड के बदले में प्रमाणपत्र जारी करना । प्रदर्शनी के लिए व्यक्तिगत रूप से आभूषण / वस्तुएं बाहर ले जाने हेतु अनुमोदन । नमूनों का निर्यात । किंबर्ली सर्टिफिकेट जारी करना । जन संपर्क । जीएसपी कार्य का पर्यवेक्षण । यूनिटों को सेवाओं की डिफॉल्ट सूची का अनुमोदन । प्राइवेट सेज़ों में प्रोजेक्शनों में संशोधन किए बिना स्थान बढ़ाना / घटाना, इन्क्यूबेशन (प्राइवेट सेज़ों में) के लिए स्थान । 3 महीनों के लिए सेज़ ऑनलाइन अस्थायी विस्तार । बंधपत्र सह विधिक वचनबंध स्वीकृत करना तथा जारी करना । विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन के पश्चात बहिर्गमन विधिक वचनबंध की स्वीकृति । आईसीसी संशोधन । प्रयुक्त पूंजीगत माल के प्रापण की सूचना । विकास आयुक्त द्वारा फाइल पर प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने के पश्चात यूएसी की कार्यसूची में शामिल करना । शुल्क वापसी के बदले में शुल्क वापसी की प्रतिपूर्ति - 1 (एक) करोड़ तक । सभी सीआरए / सीएजी आपत्तियों पर कार्रवाई करना । विकास आयुक्त के अनुमोदन से सभी संसद प्रश्नों तथा सरकारी संदर्भों पर कार्रवाई करना । सेज़ों के नए आवेदनों / नवीकरणों / ब्रॉडबैंडिंग / पूंजीगत मालों में वृद्धि से संबंधित द्वितीय कमियों के बारे में पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत । एपीआरों के प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करना तथा न्यायनिर्णयन । एमईआइएस/एसईआइएस/अन्य स्क्रिप - 1 (एक) करोड़ तक ।

21/35

2.	निर्यातान्मुख यूनिट	<ul style="list-style-type: none"> • यूएसी द्वारा अनुमोदित किए जाने पर एलओए जारी करना । • विधिक वचनबंध का निष्पादन । • विधिक वचनबंध के अनुशेष का अनुमोदन । • नए/नवीकृत ग्रीन कार्ड जारी करना । • आइईसी संशोधन / निर्गम । • अग्रिम डीटीए बिक्री तथा नियमित डीटीए बिक्री के लिए अनुमति। • पुनः निर्यात / पुनः आयात के लिए अनुमति । • सॉफ्टवेक्स फॉर्मों का प्राधिकार । • रद्दी / अपशिष्ट के निपटान की अनुमति । • मालों के प्रतिस्थापन / मरम्मत की अनुमति । • बिना शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन किए नाम के परिवर्तन की अनुमति । • आइईसी नं. का आबंटन । • विकास आयुक्त द्वारा अनुमति दिए जाने के पश्चात ईओयू से अंतिम बहिर्गमन की अनुमति । • पूंजीगत माल की वृद्धि की अनुमति । • प्रदर्शनी / दौरे के माध्यम से निर्यात की अनुमति । • सीएसटी / डीबीके / टीईडी की प्रतिपूर्ति - 1 (एक) करोड़ तक । • विकास आयुक्त के अनुमोदन से उपर्युक्त कार्यों से संबंधित सभी विवादित मामले । • एपीआर प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करना / न्याय निर्णयन करना । • विदेश व्यापार नीति के अनुसार गैर प्रोत्साहन / निःशुल्क बिक्री प्रमाणपत्र जारी करना । • एमईआइएस / एसईआइएस से संबंधित कार्य - 1 (एक) करोड़ तक।
3.	श्रम	श्रम संबंधित मामलों के संबंध में पूर्ण शक्तियां
4.	लेखा	<p>सीएसटी / डीबीके / टीईडी तथा आरओडी</p> <ul style="list-style-type: none"> • सीएसटी / डीबीके / टीईडी तथा ड्रॉबैंक के बदले में शुल्क वापसी से संबंधित सभी दावों की स्वीकृति - 1 (एक) करोड़ तक । • दूसरे हस्ताक्षरकर्ता के साथ किए गए दावों के संबंध में आरटीजीएस भुगतानों का अनुमोदन ।
5.	सूचना का अधिकार से संबंधित मामले	सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन प्रथम अपील से संबंधित सभी मामले ।
6.	प्रशासन	<ul style="list-style-type: none"> • समूह 'ख' तक के अधिकारियों / कर्मचारियों की सभी प्रकार की छुट्टियां । • विकास आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात समूह 'ख' तक के अधिकारियों / कर्मचारियों के ज्ञापन जारी करना । • रिक्तियों से संबंधित सभी मामले । • पेन्शन से संबंधित सभी मामले । • सरकारी संदर्भों / संसद प्रश्नों से संबंधित सभी मामले (विकास आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात) । • एपीआर से संबंधित सभी मामले । • विकास आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात निविदाओं / क्रय से संबंधित सभी मामले ।

२१२

ख. उप विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित शक्तियां

1.	प्रशासन	<ul style="list-style-type: none"> विकास आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात निविदाओं से संबंधित सभी अनुवर्ती मामले । वित्तीय शक्तियों के अनुसार क्रय से संबंधित सभी मामले । पेन्शन / सेवा निवृत्ति से संबंधित सभी मामले । सरकारी कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि से संबंधित मामले।
2.	निर्यातोन्मुख यूनिट	<ul style="list-style-type: none"> जीएसपी प्रमाणपत्र जारी करना । अंतर यूनिट अंतरण के मामलों से संबंधित सूचना । निम्न स्तर के तकनीशियनों के रोजगार वीजा के लिए पात्रता प्रमाणपत्र । पुनः निर्यात / पुनः आयात से संबंधित मामलों की सूचना । रद्दी / अपशिष्ट के निपटान से संबंधित मामलों की सूचना । मालों के प्रतिस्थापन / मरम्मत से संबंधित मामलों की सूचना ।
3	वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन	<p>I. पूर्ण शक्ति</p> <ul style="list-style-type: none"> बिजली बिलों का भुगतान । इंटरनेट प्रभार सहित कार्यालय / आवासीय टेलीफोन बिलों का भुगतान । डाक टिकटों की खरीद । समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं की खरीद । जल प्रभारों का भुगतान । शिक्षण शुल्क / समाचार पत्रों की प्रतिपूर्ति । <p>II. अनुमोदन के पश्चात</p> <ul style="list-style-type: none"> संविदा के अनुमोदन के पश्चात आउटसोर्स स्टाफ का भुगतान। संविदा के अनुमोदन के पश्चात सभी एएमसी के बिलों का भुगतान । संविदा के अनुमोदन के पश्चात किराए पर लिए गए वाहनों का भुगतान । संविदा के अनुमोदन के पश्चात कार्टिजों सहित कंप्यूटर कनज्यूमेबल्सों की खरीद । <p>III. सीमित शक्ति</p> <ul style="list-style-type: none"> कार्यालय के लिए लेखन सामग्री की खरीद 1,00,000/- रु. तक (एकबारगी) । फिक्सचर्स, फर्नीचर एवं मरम्मत 1,00,000/- रु. तक (एकबारगी) । गैर सरकारी प्रकाशन 5,000/- रु. । खरीदना, किराए पर लेना, सभी कार्यालय उपकरणों जिनमें डेडिकेटेड वर्क प्रोसेसर्स, इंटरकॉम उपस्कर, कलकुलेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंसिल कटर, डिक्टाफोन्स, टेप रिकॉर्ड, फोटो कॉपियां, कॉपीइंग मशीनें, फ्रैकिंग मशीनें, एड्सोग्राफ्स, फाइलिंग तथा इन्डेक्सिंग सिस्टम्स आदि शामिल हैं, का रखरखाव तथा मरम्मत - एकबार में 25,000/- रु. तक ।

112

घ सहायक विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित शक्तियां

1	अनुभाग	<ul style="list-style-type: none">• यूनिटों / विकासकों / सह विकासकों के सभी आवेदनों / अनुरोधों की जांच करने के पश्चात प्रथम कमियों से संबंधित पत्र ।• एलओए / सभी अनुमोदन / अनुमति के स्वीकृत किए जाने की सूचना ।• कर्मचारियों को डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने के लिए अनुमोदन देना ।• सेजों तथा ईओयू के ईपीसीएस से संबंधित कार्य ।• पासपोर्ट प्रयोजन के लिए वास्तविक प्रमाणपत्र जारी करना ।• शुद्धिपत्र (केवल टंकण संबंधी त्रुटियों के लिए) जारी करना ।
---	--------	---

ग. (i) संयुक्त विकास आयुक्त, पुणे को सीआरए, डीबीके, एमईआइएस, एसईआइएस से संबंधित कार्यों को छोड़कर पुणे समूह के सेज संबंधी सभी मामलों में वही शक्तियां होंगी जो संयुक्त विकास आयुक्त, सीपज़-सेज को प्राप्त हैं ।

(ii) पुणे समूह के अधीन आने वाले समूह "ख" स्तर तक के सभी अधिकारियों की सभी प्रकार की छुट्टियां संयुक्त विकास आयुक्त, पुणे द्वारा स्वीकृत की जाएंगी । वे अभिलेख के लिए अर्जित छुट्टियों के आवेदन सविआ/ प्रशासन, सीपज़ को भिजवाएंगे ।

(iii) सहायक विकास आयुक्त/सुरक्षा सरकारी सुरक्षा कार्मिकों के सभी प्रकार की छुट्टियां स्वीकृत करेंगे ।

(iv) निचले स्तर के अधिकारियों को प्रत्यायोजित सभी शक्तियों का प्रयोग उच्चतर अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा ।

(v) विकास आयुक्त को सभी फाइलें संयुक्त विकास आयुक्त के माध्यम से भिजवाई जाएंगी ।

यह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।



(राजू कुमार)

सहायक विकास आयुक्त (प्रशासन),

कृते विकास आयुक्त

सीपज़-सेज

दिनांक: 10.01.2020

सं.सीपज़-सेज/प्रशासन/273/08-09/00546

प्रतिलिपि:-

1. सभी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी
2. कार्यालय आदेश फाइल
3. कार्यालय आदेश रजिस्टर



OFFICE ORDER No. 128/2020

In partial modification of Office Order No. 62/2019 Dated 14/08/2019, the following powers have been delegated with immediate effect and till further orders:-

A. POWERS DELEGATED TO JDC:

Sr. No.	Section	List of Works
1	SEEPZ SEZ/New SEZ	<ul style="list-style-type: none">• Issue of LOA after approval of the proposal by Unit Approval Committee.• Matters related to NSDL.• Issue of Certificate for Electricity Duty exemption to Units.• Issue of Commencement Certificate or Certificate in lieu of Green card to SEZ units.• Approval for personal carriage of jewellery/Articles for exhibition.• Export of samples.• Issue of Kimberly Certificate.• Public relations.• Supervision of GSP work.• Approval of default list of services to Units.• Addition/deletion of space, incubation space (in private SEZs) without revision of projections in Pvt. SEZs.• Temporary extension on SEZ online up to 3 months.• Acceptance / issuance of Bond-cum-Legal Undertaking.• Acceptance of Exit LUT on approval by DC.• IEC amendments.• Intimation of procurement of used capital goods.• Agenda for UAC on approval of the proposal on file by DC.• Re-imbusement of Refund of Duty in lieu of drawback up to Rs. 1.00 Cr.• Attending all CRA/CAG objections.• Attending to all Parliamentary Questions and Govt. References with the approval of DC.• Authorized to issue 2nd deficiency letters related to new applications / renewals / broad banding / capital goods enhancement etc. related to SEZs.• Issue of SCN/Adjudication for non-submission of APRs only.• MEIS/SEIS/Other scrips up to Rs. 1.00 Cr.

2	Export Oriented Unit	<ul style="list-style-type: none"> • Issue of LOA on approval by UAC. • Execution of Legal Undertaking. • Approval of Addendum to LUT. • Issuance of fresh/renewed green card. • IEC amendments/issuance. • Permission for Advance DTA sale & regular DTA sale. • Permission for re-export/re-import. • Authorization of softex forms. • Permission disposal of scrap/waste. • Permission for replacement/repair of goods. • Permission for change of name without changing shareholding pattern. • Allotment of IEC No. • Permission of final exit of EOU on approval by DC. • Permission for enhancement of Capital goods. • Permission for export through exhibition/tour. • Re-imbursalment of CST/DBK/TED up to Rs. 1.00 Cr. • All disputed matters of above works with the approval of DC. • Issue of SCN/Adjudication for non-submission of APRs. • Issue of non incentive/free sale certificate in terms of FTP. • MEIS/SEIS related works up to Rs. 1.00 Cr.
3.	Labour	Full powers of Labour related issues.
4.	Accounts	<u>CST/DBK/TED & ROD:-</u> <ul style="list-style-type: none"> • Sanction of all claims related to CST/DBK/TED/Refund of Duty in lieu of Drawback up to Rs. 1.00 Cr. • Approval for RTGS payments in respect of the claims along with 2nd signatory.
5.	RTI matters	All matters related to First appeal under RTI Act.
6.	Administration	<ul style="list-style-type: none"> • All kind of leaves up to Group 'B' Officers/Officials. • Issuance of Memorandum up to Group 'B' Officers/Officials after DC's approval. • Matters related to vacancies. • Pension related matters. • Matters pertaining to Govt. references / Parliamentary Questions (after obtaining approval of DC). • Matters related to APARs. • Matters related to Tenders/Purchase after obtaining approval of DC.

B. POWERS DELEGATED TO DDC:

1	Administration	<ul style="list-style-type: none"> • All follow up matters related to Tenders after approval of DC. • All matters related to purchase as per Financial Power. • All matters related to pension/retirement. • Matters related to annual increment to the Govt. Employees.
---	----------------	--

2	Export Oriented Unit	<ul style="list-style-type: none"> • Issue of GSP certificate. • Intimation related matters pertaining to inter-unit transfer. • Eligibility certificate for employment visa for lower level technicians. • Intimation related matters pertaining to re-export/re-import. • Intimation related matters pertaining to disposal of scrap/waste. • Intimation related matters pertaining to replacement/repair of goods.
3	Delegation of Financial Powers	<p>I. <u>Full Power:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Payment of Electricity Bills. • Office/Residential telephone including internet charge/payment. • Purchase of postal stamps. • Purchase of news papers and Periodicals. • Payment of water charges. • Re-imburement of tuition fee / Newspapers. <p>II. <u>After Approvals:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Payment of outsourced staff after approval of contract; • Bill payment of all AMCs after approval of contract. • Payment of bills for hiring of vehicles after approval of contract. • Purchase of computer consumables including purchase of cartridges after approval of contract. <p>III. <u>Limited Power:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Purchase of Office Stationery up to Rs. 1,00,000/- (one time). • Fixtures, Furniture and Repairs up to Rs. 1,00,000/- (one time). • Non-official publication up to Rs. 5,000/-. • Purchase, Hire , Upkeep and repair of all Office Equipments including dedicated work processors, intercom equipments, calculators, electronic stencil cutter, Dictaphones, tape records, photo copies, copying machines, franking machines, addressographs, filling and indexing systems etc. up to Rs. 25,000/- at a time.



C. POWERS DELEGATED TO ADCs:

1	All Sections	<ul style="list-style-type: none">• Any first deficiency on scrutiny of all applications/request of the Units / Developers / Co-developers.• Intimation of acceptance of LoA/All approval/Permission.• Approval for issue of Digital Signature to Employees.• Work related to EPCES for SEZs & EOUs.• Issuance of Bonafide Certificate for Passport purpose.• Issue of Corrigendum (for typographical error).
---	--------------	--

D. (i) JDC-Pune will have the same powers as JDC, SEEPZ in the SEZ matters of Pune Cluster except CRA, DBK, MEIS/SEIS related work.

(ii) JDC-Pune will look after all kind of leave of the Officers up to Group-B, under Pune Cluster. He will send the Earned Leave application to ADC/Admin, SEEPZ for record purpose.

(iii) ADC/Security will look after all kind of leave of the Govt. security personnel.

(iv) All powers delegated to lower officer shall be exercisable by higher officer.

(v) All files to the Development Commissioner will be routed through Jt. Development Commissioner.

This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.



(Raju Kumar)

Asstt. Development Commissioner (Admin)
For Development Commissioner

No. SEEPZ-SEZ/ADMIN/273/08-09/00546

Dated: 10/01/2020

To,

1. All Concerned Officers and staff.
2. Office Order File.
3. Office Order Register